म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0 / ज.कि.स.यो / 2019 / रबी–14 / 3919 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2019

प्रति

1. संयुक्त / उप संचालक (समस्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय – ....

2. भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति – ....
जिला –.............

विषय :– रबी वर्ष 2019 की जय किसान समृद्धि योजनांतर्गत "गेहूं" के विक्रय संव्यवहारों" हेतु पोर्टल दिनांक 26.05.2019 को रात्रि 12:00 बजे बन्द करने हेतु।

संदर्भ :–1. म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का आदेश क्रमांक / 16–3 / 2019 / 14–2 दिनांक 07 मार्च 2019

2. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र क्रमांक एफ–5–15(1–1 क–2019) 2018 / 29–1 दिनांक 14 जनवरी 2019।

रबी वर्ष 2019 की जय किसान समृद्धि योजनांतर्गत चयनित फसल "गेहूं" की विक्रय अवधि दिनांक 25 मार्च 2019 से दिनांक 24 मई 2019 तक निर्धारित है।योजना अंतर्गत दिनांक 24.05.2019 तक किये गये समस्त विक्रय संव्यवहारों का पोर्टल पर इन्दाज करने तथा उनका सत्यापन करने हेतु दिनांक 26.05.2019 तक का समय प्रदान किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि विक्रय संव्यवहारों की प्रविष्टियां एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने हेतु समय–समय पर पत्रों तथा वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है। उक्त योजनांतर्गत गेहूं" के विक्रय संव्यवहारों की समस्त प्रविष्टियां एवं उनका सत्यापन निर्धारित समयवधि में पूर्ण कराये, जिससे बैकलॉग की स्थिति निर्मित न हो। विक्रय संव्यवहारों की प्रविष्टियों एवं सत्यापन शेष रहने की स्थिति में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव सूची सहित प्रेषित करें, साथ ही प्रविष्टियों की संख्या शेष रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भिजवायें।

3. आंचलिक अधिकारियों को उनकी लॉगईन आई–डी पर रिपोर्ट प्राप्त करने का एक्सेस प्रदान किया गया है, अतएव आंचलिक अधिकारी पोर्टल से रिपोर्ट प्राप्त कर इसकी सतत् समीक्षा कर निर्धारित समयवधि में समस्त विक्रय संव्यवहारों की प्रविष्टियां एवं उनका सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें, प्रविष्टियों एवं सत्यापन शेष रहने की स्थिति में मंडी सचिवों के साथ ही आंचलिक अधिकारियों को भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

(फैज़ अहमद किदवई) 24/5
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0 / ज.कि.स.यो / 2019 / रबी–14 / 3990 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला– .... (समस्त)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल